

प्रेषक,

निदेशक,

पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश।

सेवा मे,

उप निदेशक(प०) / आहरण वितरण अधिकारी,
पंचायती राज निदेशालय, उत्तर प्रदेश।

संख्या—1 / शा०/८०/२०१४—१/६९/२०१४ : लखनऊ: दिनांक १० अक्टूबर, २०१४

विषय: चालू वित्तीय वर्ष २०१४—१५ में अनुदान संख्या—१४ आयोजनागत मद में पिछ़ा क्षेत्र अनुदान निधि योजनान्तर्गत चयनित जनपदों को प्रथम किश्त की धनराशि आवंटित किये जाने विषयक।

महोदय,

उपयुक्त विषयक संयुक्त सचिव पंचायतीराज, उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या—६ / २५६५ / ३३—३—२०१४—१००(१५) / २०१३, दिनांक ०७ अक्टूबर, २०१४ (छायाप्रति संलग्न) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा जनपद चंदौली, सिद्धार्थनगर एवं महराजगंज के लिए प्रथम किश्त की धनराशि वित्तीय वर्ष २०१४—१५ के अनुदान संख्या—१४ आयोजनागत मद के आय—व्यय में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष शासनादेश दिनांक ०७ अक्टूबर, २०१४ में इंगित निर्देशों, शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन संलग्न विवरण के अनुसार निम्न प्रकार कुल रु०— ४८,७६,००,०००/- (रुपया अड़तालीस करोड़ छिह्न्तर लाख मात्र) की धनराशि आवंटित की जाती है :—

१— प्रश्नगत धनराशि का आहरण/व्यय प्रश्नगत योजना हेतु भारत सरकार की गाइड लाइन्स, एवं राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये निर्देशों के अनुसार ही कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायगा।

२— उक्त आवंटित धनराशि को आहरण वितरण अधिकारी द्वारा ई—बैंक अन्तरण प्रणाली प्रक्रिया के अनुरूप सीधे जिले के अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत/नोडल अधिकारी के खाते में हस्तान्तरित की जायेगी, शासनादेश संख्या—१९१९ / ३३—३—२००८—१००(५७) / २००८ दिनांक ३०.१२.२००८ में दिये गये निर्देशानुसार उपरोक्त धनराशि योजनान्तर्गत राष्ट्रीयकृत बैंक में खोले गये बचत खाते में ही रखा जायेगा, जिसका लेखा जोखा व कैशबुक पृथक से अनुरक्षित किया जायेगा।

३— उक्त योजनान्तर्गत होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष २०१४—१५ अनुदान संख्या—१४ आयोजनागत मद (पूर्जीगत व्यय) के अन्तर्गत संलग्न फॉट के अनुसार पंचायतवार तथा निकायवार विवरण में उल्लिखित सुसंगत लेखाशीर्षक के नामे डाला जायेगा।

४— कोषागार से आहरित धनराशि का विवरण निर्धारित प्रारूप पर बी०एम०—४ पर अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाये। बी०एम०—४ पर बने सभी कालम अवश्य भरें जाए तथा विवरण में कोषागार वाउचर संख्या तथा दिनांक एवं धनराशि का उल्लेख अवश्य किया जाये।

५— यदि बी०एम०—४ पर सूचना नियमित एवं समयवद्ध रूप से नहीं भेजी जाती है तो गबन आदि की कोई भी घटना होने पर संबंधित आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से सीधे जिम्मेदार होंगे।

६— आहरण वितरण अधिकारी आवंटित धनराशि व्यय का लेखा जोखा रखेंगे तथा व्यय की सूचना इस लेखा एवं बजट अनुभाग—१ को निश्चित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

७— कोषागार से आहरित धनराशि का मासिक विवरण बी०एम०—४ तथा कोषागार द्वारा उपलब्ध कराया गया रिकेन्सिलियेशन स्टेटमेंट आगामी माह की ५ तारीख तक अनिवार्य रूप से लेखा एवं बजट अनुभाग—१ को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या—४१, ४३, ४५ व ४७ पर अंकित है।

संलग्न उपरोक्तानुसार।

आवंटन,

आयोजनागत—अनुदान सं०—१४

भवदीय,

(उदयवीर सिंह यादव)

निदेशक,

पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

क०प०उ०

संख्या: 1/शा०/80/1/2014 तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- 1—प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 2—प्रमुख सचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग—2 उ०प्र० शासन।
- 3—प्रमुख सचिव, नगर विकास, उत्तर प्रदेश शासन।
- 4—सम्बन्धित मण्डलायुक्त।
- 5—जिलाधिकारी, चंदौली, सिद्धार्थनगर एवं महाराजगंज।
- 6—महालेखाकार सी०पी० सी०—२ उ०प्र० इलाहाबाद।
- 7—महालेखाकार लेखा एवं हकदारी प्रथम उ०प्र० इलाहाबाद।
- 8—वरिष्ठ उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15—ए, महर्षि दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ०प्र० इलाहाबाद।
- 9—निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 10—परियोजना निदेशक, परियोजना प्रबन्ध इकाई, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान सिधि, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 11—मुख्य विकास अधिकारी, जनपद चंदौली, सिद्धार्थनगर एवं महाराजगंज।
- 12—अध्यक्ष, जिला पंचायत, जनपद चंदौली, सिद्धार्थनगर एवं महाराजगंज।
- 13—मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 14—अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत/नोडल अधिकारी, जनपद चंदौली, सिद्धार्थनगर एवं महाराजगंज।
- 15—तकनीकी निदेशक, एन०आई०सी० नवां तल बापू भवन लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि, उक्त आवंटन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

(शहजाद अहमद अंसारी)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश।